भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 167

जिसका उत्तर दिनांक 03.02.2022 को दिया जाना है

भारत-अमरीका नाभिकीय समझौता

167 श्री जॉन ब्रिटास :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत-अमरीका नाभिकीय समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारत-अमरीका समझौता के फलस्वरूप नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में कितनी अतिरिक्त क्षमता जोड़ी गई, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ.जितेंद्र सिंह) :

(क) नाभिकीय ऊर्जा में सहयोग के लिए अंतराष्ट्रीय समझौता जिसे लोकव्यापी रूप से इंडो-यूएस परमाणु समझौते के नाम से जाना जाता है, के संपन्न होने से देश का अंतराष्ट्रीय अलगाव समाप्त हो गया और नाभिकीय वाणिज्य के लिए वैश्विक बाजार में प्रवेश मिल गया । इससे आईएईए संरक्षोपायों के अन्तर्गत रिएक्टर में उपयोग के लिए ईंधन के आयात और विदेशी देशों के साथ तकनीकी सहयोग पर आधारित नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों को स्थापित करने की संभावनाएं खुल गईं ।

(ख) नाभिकीय ऊर्जा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उपयोग करते हुए, आईएईए संरक्षोपायों के अधीन 4380 मेगावाट की क्षमता वाले चौदह रिएक्टर की ईंधन आवश्यकता को आयातित ईंधन द्वारा पूरा किया जा रहा है । चार रिएक्टर, केकेएनपीपी-3 से 6 (4 x 1000 मेगावाट) प्रारंभ किया गया है और निर्माणाधीन है । कोव्वडा, आंध्र प्रदेश (6 x 1208 मेगावाट) परियोजनाओं के लिए यूएसए से और जैतापुर, महाराष्ट्र (6 x 1650 मेगावाट) परियोजनाओं के लिए फ्रांस से प्रौद्यौगिकी सहभागियों के साथ परियोजना प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए चर्चा प्रगति पर है ।

* * * * *